भारत सरकार
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2726
उत्तर देने की तारीख 4 दिसंबर, 2019 (बुधवार)
13 अग्रहायण, 1941 (शक)

प्रश्न

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निधि का आवंटन

2726. श्री श्याम सिंह यादव:

क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार विकास की गति से संतुष्ट है; और

(ग) क्या कुछ अन्य राज्यों को भी पूर्वोत्तर राज्यों की तरह पैकेज दिए जाने का विचार है?

उत्तर
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग को निर्धारित मानदंडों के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपने सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का 10% व्यय करना आवश्यक है । तथापि, राज्य-वार आवंटन नहीं किए जाते हैं और राज्यों को संस्वीकृत परियोजनाओं/स्कीमों के लिए आवश्यकता के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं । इसके अतिरिक्त, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ चयनित क्षेत्रों में अवसंरचना अंतरालों को पाटने के लिए अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर), उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस), उत्तर पूर्व सड़क क्षेत्र विकास स्कीम (एनईआरएसडीएस) आदि जैसी कुछ स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहे हैं । उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की स्कीमों और एनईसी की स्कीमों के तहत मानक आवंटन निर्धारित मानदंडों के तहत किए जाते हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्र; जनसंख्या; मानव विकास सूचकांक, सड़कों का घनत्व; विद्युतीकृत गांवों का प्रतिशत; अस्पताल में बिस्तरों की संख्या; स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने वाले घरों का प्रतिशत और परियोजनाओं के समापन की दर शामिल है । उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और एनईसी द्वारा उनकी स्कीमों के तहत निधियों की निर्मुक्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति पर आधारित होती है । पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और एनईसी की स्कीमों के तहत जारी निधियों की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	राज्य	पिछले पांच वर्षों के दौरान निर्मुक्त निधियां (रूपये करोड़ में)				
		2014-15	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
1	अरुणाचल प्रदेश	251.52	197.76	195.68	284.72	210.78
2	असम	293.59	323.34	359.12	313.24	453.20
3	मणिपुर	219.59	259.51	324.00	363.25	366.11
4	मेघालय	157.15	193.69	194.54	298.00	118.92
5	मिजोरम	95.22	166.06	133.03	242.03	192.00
6	नागालैंड	157.41	160.28	177.68	195.11	108.92
7	सिक्किम	126.16	77.61	111.18	110.40	160.68
8	त्रिपुरा	103.02	104.82	139.51	107.77	57.34
	कुल राज्य	**1403.66**	**1483.07**	**1634.74**	**1914.52**	**1667.95**
	केंद्रीय एजेंसियां	51.70	80.62	180.31	104.89	166.25
	कुल योग	**1455.36**	**1563.69**	**1815.05**	**2019.41**	**1834.2**

(ख) कुछ मामलों में हालांकि परियोजनाओं की समय-सीमा में पूरा होने में देरी विभिन्न कारकों जैसे कामकाजी मौसम का छोटा होना, भू-भाग का दुर्गम होना आदि के कारण हुई है, फिर भी पूर्वोत्तर राज्यों में विकास की गति संतोषजनक है । विकास की गति में और अधिक सुधार लाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं ।

(ग) इसका संबंध उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से नहीं है ।

*****